<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.—168 / 2007 संस्थित दिनांक— 07.05.2007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र पिपरई	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरूद्ध

- 1. संदीप उर्फ संजीव पुत्र प्रेमचंद जैन उम्र 38 साल
- 2. अंदीप उर्फ अनिल पुत्र प्रेमचंद जैन उम्र 34 साल
- 3. प्रदीप पुत्र लल्ला याँदव उम्र 30 साल निवासीगण तहसील पिपरई जिला अशोकनगर म०प्र०

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 31.05.2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त संदीप के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 279, 304(A), 337, 325, 325/34 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 10.04.2007 को समय 12:00 बजे ग्राम रेहटवास माता मंदिर अशोकनगर रोड पर स्वराज लाल रंग का बिना नंबर का ट्रैक्टर तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत पप्पू को साधारण उपहित एवं भूपेन्द्र की मृत्यु कारित की जो हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध कोटि में नही आता है साथ ही आहत मोहन के साथ मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की अथवा अन्य सह अभियुक्त प्रदीप व अंदीप के साथ मिलकर मोहन को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में मोहन के साथ मारपीट कर स्वंच्छेया गंभीर उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2007 को अशोक सिह एवं भूपेन्द्र व पप्पू अलग—अलग मोटरसाईकिल से पिपरई को आ रहे थे भूपेन्द्र तथा पप्पू, अशोक के आगे मोटरसाईकिल से जा रहे थे, तभी सामने से रेहटवास माता मंदिर पर पिपरई की तरफ से ट्रैक्टर बिना नंबर का स्वराज ट्रैक्टर लाल रंग का मय टॉला बोरा भरा हुआ आ रहा था, जिसका ड्राईवर संदीप पुत्र प्रेमचंद जैन निवासी पिपरई तेज व लापरवाही से चलाता हुआ आया और भूपेन्द्र सिंह के मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, भूपेन्द्र सिंह ६ गयाल हो गया, जिसे उपचार हेतु अशोकनगर लाया गया, जहां भूपेन्द्र सिंह खत्म हो गया। वहां पर ग्राम मूडरा के राजधर सिंह तथा नारायण सिंह भी आ गये। दिनांक 10.04.2007 को फरियादी अशोक द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध कमांक 56/2007 अंतर्गत धारा— 279, 337, 304 (A), 325 भाठद०विठ के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया तथा प्रकरण का विचारण चाहा। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्त संदीप ने दिनांक 10.04.2007 को समय 12:00 बजे ग्राम रेहटवास माता मंदिर अशोकनगर रोड पर स्वराज लाल रंग का बिना नंबर का ट्रैक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्त संदीप ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर स्वराज लाल रंग का बिना नंबर का ट्रैक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक भूपेन्द्र की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध कोटि में नही आता है एवं पप्पू को साधारण उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्त संदीप ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत पप्पू की खड्डयों से मारपीट कर उसका अस्थि भंग कर घोर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 4. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त अन्दीप उर्फ अनिल एवं प्रदीप ने अभियुक्त संदीप के साथ मिलकर पप्पू को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत पप्पू की खड्डयों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया ६ गोर उपहति कारित की ?
- 5. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण आई साक्ष्य की पूर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से मुख्य रूप से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी फरियादी अशोक सिंह (अ0सा0—02), सिंहत नारायण सिंह (अ0सा0—04), राजधर सिंह (अ0सा0—05) एवं आहत मोहन सिंह (अ0सा0—11) के कथन न्यायालय में कराये गये है तथा समर्थन में चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर सीताराम रघुवंशी (अ0सा0—01) डॉक्टर बाये. एस. तोमर (अ0सा0—07) डॉक्टर एस. पी. सिंह (अ0सा0—10) सिंहत मृतक भूपेन्द्र सिंह के पिता गजेंद्र सिंह

(अ०सा0—03) एवं पुलिसकर्मी तत्कालीन आरक्षक प्रेम सिंह भदौरिया (अ०सा0—06), तत्कालीन प्रधान आरक्षक दशरथ (अ०सा0—08) व थाना प्रभारी जी. बी. सुमन (अ०सा0—09) के कथन न्यायालय में कराये गये है।

- 06— फरियादी अशोक सिंह (अ0सा0—02) का अपने न्यायालयीन कथनों में यह कहना है कि घ ाटना पांच—छः साल पहले सुबह 10:00—11:00 बजे की है, उसकी पहचान का पंचायत सचिव मृतक भूपेन्द्र अपनी मोटरसाईकिल से उसके आगे जा रहा था। वह थोडी देर के बाद स्वयं रेहटवास बैंक पर रूक गया था तथा भूपेन्द्र आगे चला गया था, थोडी देर के बाद उसे सूचना प्राप्त हुई थी कि रेहटवास गावं में माता मंदिर के पास भूपेन्द्र का एक्सीडेन्ट हो गया है। जिसके बाद वह घटना स्थल पर पहुचा था, तो भूपेन्द्र रोड पर पड़ा था और ट्रैक्टर साईड में खड़ा था। इस साक्षी का कहना है कि वह देसाईखेड़ा के सरपंच की जीप से भूपेन्द्र को अशोकनगर अस्पताल लेकर आ गया था, जहां अस्पताल में भर्ती कराने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
- 07— फरियादी अशोक सिंह (अ0सा0—02) का कहना है कि उसने भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु की सूचना थाना पिपरई में दी थी तथा आवेदन प्रदर्श पी 02 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। फरियादी अशोक सिंह (अ0सा0—02) ने अपने कथनों में यह कहीं भी स्पष्ट नही किया है कि भूपेन्द्र सिंह का एक्सीडेन्ट किस प्रकार किस वाहन से व किसके द्वारा किया गया था, यह साक्षी प्रदर्श पी 02 का व प्रदर्श पी 03 की उल्लेखित घटना के विपरीत घटना स्थल पर घटना होने के बाद पहुचना बताता है। जबिक अभियोजन के अनुसार स्वयं इसी साक्षी के द्वारा घटना के संबंध में स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताते हुये प्रदर्श पी 02 का आवेदन थाने पर दिया गया था, जिसके आधार पर प्रदर्श पी 03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
- 08— फरियादी अशोक सिंह (अ०सा०—02) प्रदर्श पी 02 के आवेदन पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है, परन्तु उक्त आवेदन थाने पर देने से इन्कार करता है, तथा उक्त आवेदन की हस्तिलिप भी अपनी न बता कर मात्र उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। इस साक्षी का यह भी कहना है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी 06 के कथन भी न्यायालय में नहीं दिये अर्थात अशोक सिंह (अ०सा०—02) के अनुसार न तो उसने भूपेन्द्र सिंह का एक्सीडेंट होते हुये देखा था और न ही उसने अभियुक्त के विरूद्ध थाने पर किसी प्रकार कोई आवेदन या कथन पुलिस को दिये थे। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी अभियोजन के विरूद्ध यह कथन दिये है कि उसे मौके पर कोई भी आरोपी नहीं मिला था और न ही उसने अपने आवेदन में किसी ट्रैक्टर चालक का नाम बताया था।
- 09— अतः अशोक सिंह (अ0सा0—02) मात्र अभियोजन का इस बात पर समर्थन करता है कि रेहटवास गांव में माता मंदिर के पास 10:00—11:00 बजे मृतक पंचायत सचिव भूपेन्द्र का जो कि मोटरसाईकिल पर था, एक्सीडेन्ट हो गया था, परन्तु उक्त घटना अभियुक्त

सन्दीप के द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर कारित की गई, इस संबंध में स्वयं फरियादी ने ही अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा अभियुक्त के विरूद्ध थाने पर कोई आवेदन एवं कथन न देना बताया है।

- 10— अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 10.04.2007 को फरियादी अशोक (अ0सा0—02) के साथ अन्य मोटरसाईकिल पर नारायण सिंह (अ0सा0—04) व राजधर (अ0सा0—05) भी थे, जिन्होने प्रत्यक्ष रूप से पूरी घटना देखी थी। इन दोनों ही साक्षियों के कथन अभियोजन ने अपने समर्थन में न्यायालय में कराये हैं परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करते हुये घटना की जानकारी होने से ही इंकार किया है। इन दोनों ही साक्षियों का कहना है कि उन्हें एक्सीडेन्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह तो मृतक के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। नारायण सिंह (अ0सा0—04) व राजधर सिंह (अ0सा0—05) ने अपने कथनों में घटना के संबंध में पुलिस को प्रदर्श पी 08 व 09 का कथन न देना बताया है।
- 11— मृतक भूपेन्द्र सिंह का पिता गजेन्द्र सिंह (अ०सा०—०३) हालांकि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, परन्तु अभियोजन कहानी के अनुसार वह घटना की सूचना मिलने पर घ । टना स्थल पर पहुंचा था, जहां से वह अपने पुत्र का शव लेकर चंदेरी अस्पताल आया था तथा अभियुक्त के द्वारा कारित की गई घटना की जानकारी स्वयं उसे फरियादी अशोक (अ०सा०—०२) के द्वारा दी गई थी। गजेन्द्र सिंह (अ०सा०—०३) अपने कथनों में व्यक्त करता है कि उसका लडका भूपेन्द्र दिनांक 10.04.2007 को मोटरसाईकिल से अशोकनगर से पिपरई के तहफ जा रहा था, तो उसका एक्सीडेन्ट हो गया था, जिसकी सूचना उसे फोन पर प्राप्त हुई थी।
- 12— गजेन्द्र सिंह (अ०सा०—03) का अपने कथनों में पुलिस को दिये गये कथनों के विपरीत यह कहना है कि वह सूचना मिलने पर सीधे अशोकनगर अस्पताल पहुंचा था, जहां उसने अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा था अर्थात् इस साक्षी के अनुसार सूचना मिलने पर वह सीधे घटना स्थल पर नहीं गया था। गजेन्द्र सिंह (अ०सा०—03) का अपने कथनो में यह कहना है कि भूपेन्द्र सिंह का एक्सीडेन्ट किसी ट्रैक्टर से हुआ था, परन्तु एक्सीडेन्ट किस ट्रैक्टर से हुआ था, उसका नंबर क्या था, तथा उसे कौन चला रहा था इसकी कोई जानकारी इस साक्षी ने न होना बताया है, तथा इस संबंध में पुलिस को भी कोई कथन न देना बताया है।
- 13— घटना में आहत मोहन सिंह (अ०सा०—11) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय भूपेन्द्र सिंह की मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था, का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि 08—10 साल पहले वह अशोकनगर से पिपरई मोटरसाईकिल से भूपेन्द्र के साथ आ रहा था, मोटरसाईकिल भूपेन्द्र चला रहा था, तो पिपरई के ओर से आते हुये ट्रैक्टर ने अचानक उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे भूपेन्द्र सिंह के उपर ट्रैक्टर चढ गया था। जिसके बाद वह जीप से भूपेन्द्र सिंह को अशोकनगर अस्पताल ले

गये थे, जहां भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई थी।

- 14— घटना के समय मृतक भूपेन्द्र सिंह के साथ मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) भी मोटरसाईकिल पर था, तथा घटना में उसे भी चोटें आई थी इस संबंध में फरियादी अशोक सिंह (अ०सा0—02) सिंहत गजेन्द्र सिंह (अ०सा0—03) नारायण सिंह (अ०सा0—04) व राजधर सिंह (अ०सा0—05) ने कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं, परन्तु फरियादी अशोक सिंह (अ०सा0—02) सिंहत आहत मोहन सिंह किरार (अ०सा0—11) गजेन्द्र सिंह (अ०सा0—03) व नारायण (अ०सा0—04) व राजधर (अ०सा0—05) का यह स्पष्ट तौर पर अपने कथनों में कहना है कि भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु रोड एक्सीडेन्ट में हुई थी।
- 15— प्रधान आरक्षक प्रेम सिंह भदौरिया (अ०सा०—०६) ने अपने न्यायालीन कथनो में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 10.04.2006 को उसे 0/07 अंतर्गत धारा 174 की मर्ग इंटीमेशन जांच हेतु प्राप्त हुई थी, जिसके बाद वह सिविल अस्पताल अशोकनगर पहुंचा था, जहां उसने मृतक भूपेंद्र सिंह के शव का परीक्षण हेतु शफीना फार्म प्रदर्श पी 10 पंचानों के समक्ष तैयार किया था तथा नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 11 भी तैयार कर मेडीकल ऑफिसर सिविल अस्पताल अशोकनगर को मृतक का शव परीक्षण किये जाने हेतु आवेदन प्रदर्श पी 12 दिया था, उपरोक्त प्रदर्श पी 10, 11 व 12 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।
- 16— प्रेम सिंह भदौरिया (अ०सा०—०६) का कहना है कि जब उसने शव का परीक्षण किया था, तो उसने पाया था कि मृतक के बाये पैर के घुटने के नीचे पैर फट गया था, कमर में काफी छिलने के निशान थे तथा दाहिन फुटे दोहिने हाथ, बखा में सूजन थीं एवं चोट दिख रही थी तथा पंचों ने मृतक की मौत ट्रैक्टर एक्सीडेन्ट से होना बताया था, जिसकी संबंध में प्रदर्श पी 11 का पंचनामा तैयार किया गया था। अभियोजन की ओर से किसी भी पंचान साक्षी के कथन न्यायालय में नहीं कराये गये तथा फरियादी सहित आहत मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) को छोडकर किसी भी साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर समर्थन नही किया है कि जप्तशुदा ट्रैक्टर ही मृतक भूपेन्द्र का एक्सीडेन्ट हुआ था।
- 17— अतः प्रेम सिंह भदौरिया (अ०सा०—०६) के द्वारा मौके पर की गई जांच एवं शव परीक्षण में पाये गये शव के लक्षण से यह तो स्पष्ट होता है कि मृतक भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में न होकर किसी एक्सीडेन्ट की परिणाम थी, परन्तु उसके द्वारा तैयार किया गया पंचनामा प्रदर्श पी 11 पंचान साक्षियों की साक्ष्य के अभाव में एवं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने के कारण यह साबित करने के लिये पर्याप्त नही है कि मृतक भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु रोड एक्सीडेन्ट में हुई थी।
- 18— डॉक्टर एस. पी. सिंह (अ0सा0—10) ने अपने न्यायालयीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 10.04.2007 को उसे मृतक भूपेन्द्र सिंह का पी.एम. किये जाने हेतु आवेदन दिन में दो बजे प्राप्त हुआ था, जिस का पोस्टमार्टम उसके द्वारा उक्त दिनांक

को ही 03:45 बजे प्रारंभ कर 04:15 पूर्ण किया गया। इस साक्षी ने भी मृतक के शरीर पर पीठ में नील व खरोज के 48 गुणित 27 सेमी के निशान होने की पुष्टि की हैं तथा बाये फीमर हड्डी में अस्थि भंग व बायें घुटने के जोड में डिस्लोकेशन पाया जाना बताया है।

- 19— डॉक्टर एस. पी. सिंह (अ०सा०—10) के द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार मृतक को आई चोटें किसी सख्त एवं मोथरी एवं भारी वस्तु से परीक्षण के 06 घण्टे के पूर्व की थीं तथा मृत्यु का कारण न्यूरोजनिक शॉक जो कि कारित हुई चोटों के कारण हुआ था, से हुई थीं। डॉक्टर एस. पी. सिंह (अ०सा०—10) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि शव परीक्षण के उपरांत तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 17 से होती है तथा डॉक्टर एस. पी. सिंह (अ०सा०—10) के द्वारा परीक्षण के उपरांत तैयार की गइ रिपोर्ट एवं दिये गये अभिमत से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक भूपेन्द्र सिंह दिनांक 10.04.2007 को हुई मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में न होकर किसी एक्सीडेन्ट से हुई थी।
- 20— फरियादी अशोक सिंह (अ०सा०—02) ने भले ही अभियोजन घटना का पूरी तरह से समर्थन न किया हो परन्तु इस साक्षी ने इस बिंदू पर अभियोजन घटना की पुष्टि की है कि मृतक भूपेन्द्र सिंह घटना दिनांक को अपनी मोटरसाईकिल से जब जा रहा था, तो रेहटवास गावं में माता मंदिर के पास सुबह 10:00—11:00 बजे उसका रोड एक्सीडेन्ट हो गया था। मृतक के पिता गजेन्द्र सिंह (अ०सा०—03) सिंहत नारायण सिंह (अ०सा०—04) व राजधर सिंह (अ०सा०—05) ने भी भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु एक्सीडेन्ट में कारित होना बताया हैं, वहीं आहत मोहन सिंह (अ०सा०—11) ने भी अपने कथनों में अभियोजन का इस बात पर समर्थन किया है कि वह घटना दिनांक को भूपेन्द्र सिंह के साथ जब मोटरसाइकिल से अशोकनगर से पिपरई जा रहा था, तो पिपरई से आ रहे ट्रैक्टर से टक्कर मार देने एवं ट्रैक्टर भूपेन्द्र सिंह पर चढ जाने से भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई थी।
- 21— अतः अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 10.04.2007 को जब मृतक भूपेन्द्र सिंह अशोकनगर से रेहटवास होता हुआ, पिपरई जा रहा था, तो रेहटवास गावं के पास ट्रैक्टर से एक्सीडेन्ट हो जाने के कारण भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई। अब मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि वास्तव में प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर को अभियुक्त संदीप के द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर रेहटवास के पास फरियादी भूपेन्द्र सिंह की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु कारित की गई, अथवा नहीं।
- 22— प्रकरण में फरियादी अशोक सिंह के द्वारा अपने न्यायालीन कथनो में स्वयं इस बात पर अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है कि घटना होते हुये उसने स्वयं देखा था तथा उक्त घटना में प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर को अभियुक्त संदीप जैन ने ही लोक मार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक भूपेन्द्र सिंह की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर मृत्यु कारित की। फरियादी अशोक सिंह (अ0सा0—02) प्रदर्श पी 02 का लेखिये आवेदन पर मात्र अपने हस्ताक्षर स्वीकार करते हुये न तो उक्त आवेदन अपनी

हस्तलिपि में होना बताता है और न ही अभियुक्त के संबंध में प्रदर्श पी 02 का आवेदन व प्रदर्श पी 06 के पुलिस कथन पुलिस को देना बताता है।

- 23— इसी प्रकार घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नारायण सिंह (अ०सा०—०4) व राजधर सिंह (अ०सा०—०5) भी अपने न्यायालीन कथनो में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करते हैं तथा इन साक्षियों का भी अपने संपूर्ण न्यायालीन कथनों में यह कहीं भी कहना नही है कि उन्होने प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर को अभियुक्त संदीप को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक भूपेन्द्र की मोटरसाईकिल में टक्कर मारते हुये देखा था। यह साक्षी भी अपने न्यायालीन कथनों में पुलिस को कथन देने की बात से इन्कार करता है। मृतक के पिता गजेन्द्र सिंह जो कि हालांकि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है वह भी अपने न्यायालीन कथनों में यह कहता है कि भूपेन्द्र का एक्सीडेन्ट ट्रैक्टर से तो हुआ था, परन्तु ट्रैक्टर का नंबर क्या था उसे कौन चला रहा था, उसे यह मालूम नहीं पडा अर्थात इस साक्षी के अनुसार फरियादी अशोक सिंह ने उसे अभियुक्त के द्वारा घटना कारित करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी।
- 24— फरियादी अशोक सिंह (अ०सा०—०२) सिंहत गजेंद्र सिंह (अ०सा०—०३), नारायण (अ०सा०—०4) व राजधर सिंह (अ०सा०—०५) ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना प्रत्यक्ष स्वयं देखने के संबंध में कोई कथन न्यायालय में नही दिये और न ही इन साक्षियों का यह कहना है कि प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर को अभियुक्त संदीप के द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु कारित की गई। इन साक्षियों ने अपने सामने उपरोक्त घटना ही घटित न होना बताया है, जिससे आरोपित अपराध के संबंध में इन साक्षियों के कथनो से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नही होता हैं।
- 25— अतः घटना के संबंधं में अभिलेख पर मात्र प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में आहत मोहन सिंह किरार (अ0सा0—11) के कथन शेष बचते हैं, जिसका सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाना आवश्यक है। आहत मोहन सिंह किरार (अ0सा0—11) का अभियोजन के समर्थन में यह तो कहना है कि घटना दिनांक को वह भूपेन्द्र सिंह के साथ जब मोटरसाईकिल से अशोकनगर से पिपरई आ रहा था तथा अपने सीधे हाथ की तरफ चल रहा था, तो अचानक पिपरई से आ रहे ट्रैक्टर उनके तरफ मुड गया और मोटरसाईकिल में भिड गया। इस साक्षी का कहना है कि इस घटना में भूपेन्द्र सिंह व उसके स्वयं के अलावा मौके पर ड्राईवर था, जिसका नाम उसे याद नहीं है।
- 26— मोहन सिंह किरार (अ०सा0—11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहीं भी घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर एवं उसे चला रहे चालक की पहचान कहीं भी स्पष्ट नही की, और न ही इस साक्षी का यह कहना है कि जिस ट्रैक्टर से एक्सीडेन्ट हुआ वास्तव में उसके उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलने से घटना घटित हुई तथा न ही इस साक्षी का कहना है कि उक्त ट्रैक्टर को अभियुक्त संदीप ही घटना के समय चला रहा था।

- 27— मोहन सिंह किरार (अ०सा0—11) के द्वारा घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर एवं चालक के विरूद्ध स्पष्ट तौर पर अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, जिसमें इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 में चालक का नाम उसने संदीप पुत्र प्रेम चंद होना लिखाया था तथा इस साक्षी का कहना है कि ड्राईवर संदीप जैन ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर ही उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारी थी तथा ट्रैक्टर में अनाज भरा हुआ था।
- 28— अतः मोहन सिंह (अ०सा०—11) के द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथन न देकर अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी घोषित किये जाने के बाद किये सूचक प्रश्नों में अभियुक्त संदीप के संबंध में थाने पर रिपोर्ट करना एवं उसके द्वारा ही ट्रैक्टर उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर घटना कारित करना बताया है। देखा यह जाना है कि पक्षविरोधी घोषित हो जाने के बाद सूचक प्रश्नों के उपरोक्त उत्तर के आधार पर अभियुक्त पर आरोपित अपराध प्रमाणित होते है अथवा नहीं।
- 29— निश्चित रूप से मोहन सिंह (अ०सा०—11) ने सूचक प्रश्नो के उत्तर पर थाने पर दिये गये आवेदन में अभियुक्त संदीप का नाम लेख करना तथा उसके द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से ट्रैक्टर चलाकर घटना कारित करना बताया है, परन्तु इस साक्षी ने वास्तव में अभियुक्त संदीप को उपरोक्त कृत्य करते घटना के समय देखा था, यह जानने के लिये इस साक्षी के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथनो को संयुक्त रूप से देखा जानें की आवश्यकता है। फरियादी मोहन सिंह (अ०सा०—11) का कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है तथा वर्तमान में सामने आने पर वह उन्हें पहचान नहीं सकता है क्योंकि घटना को बहुत समय हो चुका है अर्थात इस साक्षी के अनुसार कथन देने के दिनांक को यह साक्षी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वास्तव में किस अभियुक्त के द्वारा कौन सा ट्रैक्टर चलाकर घटना कारित की गई।
- 30— जहां तक सूचक प्रश्नों के उत्तर में इस साक्षी के द्वारा यह स्वीकार किये जाने का प्रश्न है कि थाने में दिये ये आवेदन में उसने अभियुक्त संदीप का नाम लेख कराया था तथा अभियुक्त ने संदीप ने ही ट्रैक्टर को उपेक्षा व उतवालेपन से चलाकर घटना कारित की थी, तो प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 06 में इस साक्षी का यह पुनः यह कहना है कि उसे यह याद ही नही है कि रिपार्ट में उसने आरोपीगण का नाम लिखाया था या नहीं तथा प्रदर्श पी 18 के आवेदन क्या लिखा है उसे जानकारी नही है तथा प्रदर्श पी 18 पर जब उसने हस्ताक्षर किये थे, तब तक उसे आरोपीगण के नाम याद नहीं थे।
- 31— मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि सूचक प्रश्नों के उत्तर में अभियुक्त संदीप के संबंध में पूछे गये प्रश्नों पर दी गई सहमित का आधार मात्र यह है कि अभियुक्त संदीप का नाम प्रदर्श पी 18 के आवेदन में लेख हैं। जिसके संबंध में स्वयं इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कहना है कि आवेदन पर हस्ताक्षर करने से

पहले उसे अभियुक्त का नाम तक याद नहीं था। अतः ऐसे में प्रदर्श पी 18 के आवेदन में अभियुक्त संदीप के नाम का उल्लेख किस आधार पर किया गया, इसका कोई युक्ति—युक्त कारण मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) ने अपने न्यायालयीन कथनों में स्पष्ट नहीं किया।

- 32— मोहन सिंह किरार (अ०सा0—11) अपने न्यायालयीन कथनो में न तो घटना वाले ट्रैक्टर का नंबर बता सका और न ही वह यह पहचान कर सका है कि वास्तव में किस अभियुक्त के द्वारा ट्रैक्टर उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर घटना कारित की गई, जबिक यह साक्षी स्वयं ही घटना का प्रत्यक्षदर्शी होकर यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उसने किस व्यक्ति को घटना कारित करते हुये देखा था, तो मात्र प्रदर्श पी 18 व प्रदर्श पी 02 के आवेदन पर अभियुक्त का नाम लेख कराने मात्र इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त संदीप के द्वारा ही ट्रैक्टर उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर घटना कारित की गई।
- 33— प्रदर्श पी 02 व प्रदर्श पी 18 का दस्तावेज उसमें उल्लेखित घटना का अपने आप में निश्चायक प्रमाण नहीं होता है, अभियोजन घटना को मौखिक साक्ष्य से एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य साबित किया जाना आवश्यक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा—60 के प्रकाश में यिद मोहन सिंह किरार (अ0सा0—11) के द्वारा घटना के संबंध में अभियुक्त संदीप के विरुद्ध दिये गये कथनों को देखा जाना आवश्यक है। मोहन सिंह किरार (अ0सा0—11) का अपने न्यायालयीन कथनों में यह स्पष्ट तौर पर कहना है कि वह आज अभियुक्तगण को सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता है, उसे ड्राईवर का नाम याद नहीं है और ट्रैक्टर का नंबर याद नहीं है अर्थात् यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तो है, परन्तु उसका कहीं भी स्पष्ट तौर पर कहना नहीं है कि उसने स्वयं प्रकरण में अभियुक्त संदीप को ही घटना के समय जप्तशुदा ट्रैक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारते हुये देखा था।
- 34— मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) के द्वारा सूचक प्रश्नों के उत्तर में अभियुक्त संदीप के विरुद्ध दिये गये कथन का एक मात्र आधार पर प्रदर्श पी 18 के आवेदन में उल्लेखित अभियुक्त संदीप का नाम है, तथा उक्त आधार पर ही उसे संदीप के द्वारा ट्रैक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाना बताया है, जबिक वह स्वयं यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वास्तव में तीनों अभियुक्त में से घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर का चालक कौन था। मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वास्तव में प्रदर्श पी 18 के आवेदन में अभियुक्त संदीप का नाम उसके द्वारा ही लेख कराये गये थे, क्योंकि आवेदन पर हस्ताक्षर करते समय उसे अभियुक्तगण के नाम नहीं पता थें, यह उसने स्वयं स्वीकार किया है।
- 35— अतः मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) के द्वारा भी अभियुक्त संदीप को घटना दिनांक को प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक भूपेन्द्र की

मोटरसाइकिल में टक्कर मारते हुये देखा गया था, इस संबंध में इस साक्षी के द्वारा दिये न्यायालय में पक्षविरोधी होने के बाद सूचक प्रश्नों के उत्तर में दिये गये कथन प्रत्यक्षतः देखी गई घटना के आधार पर न दिये जाकर मात्र आवेदन में अभियुक्त के नाम का उल्लेख होने से दिये जाने के कारण, उपरोक्त संबंध में इस साक्षी की साक्ष्य धारा—60 साक्ष्य अधिनियम के तहत् प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तथा मात्र बिना अभियुक्त की पहचान एवं घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर की पहचान के आवेदन में अभियुक्त व ट्रैक्टर के नाम का उल्लेख होने के आधार पर दिये गये कथनों के आधार पर प्रकरण में अभियुक्त संदीप के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं की उसने ही दिनांक 10.04.2007 को समय 12:00 बजे ग्राम रेहटवास माता मंदिर अशोकनगर रोड पर स्वराज लाल रंग का बिना नंबर का ट्रैक्टर तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत पप्पू को साधारण उपहित एवं भूपेन्द्र की मृत्यु कारित की जो हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध कोटि में नहीं आता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 3, 4, व 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- जिरण में फिरयादी अशोक सिंह (अ०सा०—02) के द्वारा घटना के संबंध में प्रदर्श पी 02 का आवेदन पुलिस थाना पिपरई में दिया गया जिसके आधार पर प्रदर्श पी 03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अभियुक्त संदीप के विरूद्ध अपराध क्रमांक—56 / 07 अंतर्गत धारा 279, 337, 304 ए का प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने की पुष्टि स्वयं थाना प्रभारी जी. बी. सुमन (अ०सा0—09) ने अपने न्यायालीन कथनो की है तथा घटना दिनांक 10.04.07 को घटना स्थल पर जाकर फरियादी की निशादेही पर ही नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 तैयार किया जाना व घटना स्थल से स्वराज ट्रैक्टर व क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल जप्ती पंचनामाप प्रदर्श पी 07 के अनुसार जप्त किये जाने पुष्टि करते हुये उपरोक्त पत्रक प्रदर्श पी 3, 4 व 7 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 37— मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) के द्वारा इसी घटना के संबंध में पृथक से एक आवेदन प्रदर्श पी 18 पुलिस थाना चंदेरी को दिया जाना अपने कथनों में बताया गया है, जिसमें प्रदर्श पी 02 की घटना के अलावा इस बात का भी उल्लेख है कि मोहन सिंह किरार के रोकने पर अभियुक्त संदीप सिंहत प्रदीप व अंदीप ने उसके साथ मारपीट की थी। जिससे उसे घटना में चोटें आई थी। इस संबंध में मोहन सिंह किरार (अ०सा0—11) का अपने कथनों में यह कहना है कि घटना के बाद ड्राईवर ने उसे लोहे की रोड से मारा था जिससे उसके दाहिने हाथ और बौहों के ऊपर चोट आई थी। यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में मात्र ड्राईवर क द्वारा लोहे की रॉड से मारपीट करना बताता है, परन्तु पक्षविरोधी होने के बाद ट्रैक्टर पर अंदीप और प्रदीप को भी बैठा होना तथा उनके द्वारा भी लोहे की रॉड से उसके साथ मारपीट की घटना कारित करना बताता है।
- 38— डॉक्टर बाये. एस. तोमर (अ०सा०–०७) ने घटना दिनांक 10.04.07 को रात्रि 08:30 बजे आहत मोहन सिंह किरार का चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने एवं चिकित्सीय परीक्षण में दाहिन आंख के उपर एवं दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में फटे हुये घाव एवं दाहिने घूटने

पर खरोच व नीलगू निशान व छाती में दर्द की चोटें पाये जाने की पुष्टि की हैं तथा अंगूली व छाती की चोट के संबंध में डॉक्टर सीताराम रघवुंशी (अ०सा०–०1) के द्वारा किये गये एक्स–रे परीक्षण में छाती व अंगूली में कोई अस्थि भंग न पाये जाने की पुष्टि करते हुये न्यायालय में कथन दिये हैं। डॉक्टर बाये. एस. तोमर (अ०सा०–०7) के न्यायालीन कथन एवं तैयार की रिपोर्ट प्रदशी 12 से प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को मोहर सिंह किरार के शरीर पर भी उपरोक्त चोटें थी, जो कि मोहन सिंह (अ०सा०–11) के अनुसार अभियुक्त के द्वारा की गई मारपीट का परिणाम थी।

- 39— यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 02 का आवेदन जो कि फरियादी अशोक सिंह के द्व ारा घटना दिनांक को ही थाने पर 04:10 मिनिट पर दिया गया, में उपरोक्त मारपीट का घटना का उल्लेख नही था। उक्त आवेदन के बाद मोहन सिंह के द्वारा प्रदर्श पी 18 का आवेदन कब व किसे थाने पर दिया गया, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से कही भी स्पष्ट नही होता हैं। मोहन सिंह (अ0सा0—11), मृतक भूपेन्द्र को जीप में अशोकनगर अस्पताल घटना के बाद लेकर जाना बताता है तथा स्वयं फरियादी अशोक सिंह (अ0सा0—02) के अनुसार वह भी जीप में भूपेन्द्र सिंह को लेकर अशोकनगर पहुचा था अर्थात मोहन सिंह (अ0सा0—11) व अशोक सिंह (अ0सा0—02) घटना के बाद एक साथ घ ाटना स्थल से अशोकनगर अस्पताल मृतक को लेकर पहुचे थे।
- 40— मोहन सिंह किरार यदि अशोकनगर अस्पताल फरियादी के साथ ही पहुंच गया था और वास्तव में घटना उसके साथ आरोपीगण से मारपीट की थी, तो फरियादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श पी 02 में इस घटना का भी उल्लेख होना चाहिए था, क्योंकि वह साथ में ही घटना स्थल से रवाना हुये थे, परन्तु ऐसा कोई उल्लेख प्रदर्श पी 02 के आवेदन में नही है और न ही फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने इस संबंध में मोहन सिंह (अ0सा0—11) के कथनो का समर्थन किया है। मोहन सिंह किरार के द्वारा फरियादी के आवेदन प्रदर्श पी 02 प्रस्तुत करने पर थाने पर आवेदन दिया गया, जो कि पश्चात्वर्ती प्रकम पर दिया गया, जिसके बाद 08:30 बजे इस साक्षी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अतः ऐसे में पश्चातवर्ती प्रकम पर थाने पर दिये गये आवेदन का कोई युक्ति—युक्त स्पष्टीकरण अभिलेख पर न होने से प्रदर्श पी 18 के आवेदन में मारपीट की घटना का उल्लेख होना पश्चात्वर्ती सोच का परिणाम प्रतीत होती है।
- 41— यदि फरियादी के साथ वास्तव में ट्रैक्टर चालक व उसके साथियों के द्वारा मारपीट की घ ।टना कारित की गई होती, तो वास्तव में अभियुक्तगण के द्वारा ही उक्त घटना कारित की गई इस संबंध में आहत मोहन सिंह को अभियुक्तगण की पहचान करने में कोई कि वह अभियुक्तगण को देखकर भी नहीं पहचान सकता है। यह साक्षी अपने मुख्यपरीक्षण में जहां मृतक भूपेन्द्र सिंह व स्वयं सिहत ड्राईवर की मौके पर उपस्थिति बताते हुये लोहे की रॉड से मारना बताता हैं। वहीं पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के बाद वह अंदीप और प्रदीप के द्वारा भी लोहे की रॉड से मारपीट किया जाना बताता है। जिससे घटना स्थल

पर कौन—कौन अभियुक्तगण उपस्थित थे, इस संबंध इस साक्षी के कथनों में स्पष्ट विरोधाभास देखा जा सकता है। प्रदर्श पी 18 के आवेदन में खदेडूआ से मारपीट की जाने का उल्लेख है परन्तु मोहन सिंह इस बात से ही इंकार करता है कि अभियुक्तगण ने खदेडूआ से मारपीट की हैं वह लोहे की रॉड से मारपीट किया जाना बताता है। अतः किस हथियार से मारपीट की गई व किस व्यक्ति ने मारपीट की इस संबंध में इस साक्षी के कथनों की विरोधाभास की स्थिति है।

- 42— प्रदर्श पी 02 के आवेदन में जो कि घटना के तुरन्त बाद थाने की गई एवं फिरयादी व आहत मोहन सिंह (अ0सा0—11) के एक साथ अशोकनगर अस्पताल में पहुचने के बाद भी प्रदर्श पी 02 में मोहन सिंह (अ0सा0—11) के आवेदन प्रदर्श पी 18 में उल्लेखित मारपीट की घटना का उल्लेख न होना तथा इस घटना के संबंध में मोहन सिंह करार (अ0सा0—11) के कथनों में उत्पन्न हुआ विरोधाभास उपरोक्त मारपीट की घटना जो कि मोहन सिंह किरार (अ0सा0—11) के द्वारा प्रदर्श पी 18 के आवेदन में लेख कराई गई पश्चातवर्ती सोच पर आधारित होकर कहीं से भी विश्वसनीय प्रतीत नही होती हैं जहां तक मोहन सिंह (अ0सा0—11) को घटना में कारित हुई उपहित का प्रश्न है, तो भले ही यह साक्षी एक्सीडेन्ट में कोई उपहित कारित न होना बताता हो, परन्तु इस साक्षी के उपरोक्त कथनों का विश्वास नहीं किया जा सकता हैं।
- 43— यदि मोटरसाईकिल पर चालक के साथ स्वयं आहत मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) जा रहा था और ट्रैक्टर से मोटरसाईकिल की भिडंत होकर मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हो गई तथा मोटरसाईकिल चालक भूपेन्द्र की मोक पर ही मृत्यु हो गई, तो यह संभव ही नही है कि पीछे बैठे मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) को इस घटना में कोई चोटें न आई हो। डॉक्टर बाये. एस. तोमर (अ०सा०—07) के द्वारा मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) के चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई चोटें निश्चित रूप यह दर्शित करती है कि उक्त चोटें एक्सीडेन्ट का परिणाम थी, जिसे पश्चात्वर्ती सोच के आधार पर थाने पर आवेदन प्रस्तुत करके मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) के द्वारा मारपीट में कारित होना बताया गया हैं, जिसके संबंध में मोहन सिंह किरार (अ०सा०—11) के न्यायालयीन कथन लेशमात्र भी विश्वसनीय नही हैं।
- 44— परिणाम स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्त संदीप ने दिनांक 10.04.2007 को समय 12:00 बजे ग्राम रेहटवास माता मंदिर अशोकनगर रोड पर स्वराज लाल रंग का बिना नंबर का ट्रैक्टर तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर पप्पू को साधारण उपहित एवं भूपेन्द्र की मृत्यु कारित की जो हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध कोटि में नहीं आता है। अभियोजन यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने आहत मोहन के साथ मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की अथवा मिलकर मोहन को उपहित कारित करने का सामान्य आशय

निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में मोहन के साथ मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की।

- 45—फलतः अभियुक्त संदीप उर्फ संजीव पुत्र प्रेमचंद जैन को भा०द०वि० की धारा 279, 304(A), 337, 325 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा०द०वि० की धारा 279, 304(A), 337, 325 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण अंदीप उर्फ अनिल पुत्र प्रेमचंद जैन, प्रदीप पुत्र लल्ला यादव को भा०द०वि० की धारा 325/34 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा 325/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 46—अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति टैक्टर मय टॉली कमांक M.P. 08 AA 2965 उसके स्वामी अनिल कुमार एवं मोटरसाईकिल M.P. 08 G 5381 पंजीकृत स्वामी मृतक भूपेन्द्र की पत्नी प्रीति एवं 38 सरसों एवं 21 बोरा चना उसके स्वामी मुकेश कुमार की पूर्व से सुपुर्दगी पर हैं, सुपुर्दगीनामें बाद मियाद अपील पश्चात् भारमुक्त समझा जावे अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)